प्रकीर्ण संख्या-130/2021 (MACP-98/2017)
शिशुपाल आदि बनाम मोहम्मद अनवर आदि

दिनांकः07.08.2021

आज यह प्रकीर्ण पत्रावली प्रस्तुत हुई। याचीगण शिशुपाल एवं हर्ष नाबालिग की ओर से अधिवक्ता उपस्थित है।

याचीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त याचिका न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2018 को ₹4,23,000 एवं 6% वार्षिक ब्याज के लिए निर्णीत की गयी थी। विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में FAFO No-4534/2018 प्रस्तुत किया था जिसमें पारित आदेश के अनुपालन में याचीगण को आधी धनराशि के लिए जमानत देना है और आधी राशि की न्यायालय के नाम से FDR बनवाई जानी है। याचीगण की ओर से आधी धनराशि के लिए जमानत प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः जमानत स्वीकार करते हुये आधी राशि याचीगण को प्रदान की जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 28.09.2018 के विरुद्ध विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित FAFO No-4534/2018 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 21.12.2018 के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि में से 50% राशि याचीगण को समुचित जमानत प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान किये जाने एवं 50% राशि की FDR तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यायालय के नाम से बनवाये जाने हेतु आदेशित किया गया है। याचीगण की ओर से उक्त आदेश अनुपालन में श्री अजय पाल पुत्र श्री बलराम की जमानत प्रस्तुत की गयी है जिसे न्यायालय द्वारा विधिवत स्वीकार किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांकित 21.12.2018 के अनुपालन में प्रतिकर की सम्पूर्ण राशि में से 50% याचीगण को नकद प्रदान किया जाना व शेष 50% राशि की तीन वर्ष की अवधि के लिए FDR न्यायालय के नाम से बनवाया जाना उचित होगा। अतः याचीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र स्वीकार्य योग्य है।

आदेश

याचीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक, शाखा-झोकनबाग, झांसी को आदेशित किया जाता है कि विपक्षी यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. द्वारा MACP 98/2017 के सम्बन्ध में न्यायालय में जमा की गयी राशि में से 50% राशि याचीगण शिशुपाल एवं हर्ष नाबालिग के संरक्षक पिता शिशुपाल के बैक खाता संख्या-7280000100042442 IFC-PUNB0728000 स्थित पंजाब नैशनल बैंक, शाखा-मोठ, झांसी में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराई जाये तथा शेष 50% राशि की एक FDR न्यायालय के नाम से तीन वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाये। तदनुसार अवगत हों।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.08.07 14:47:53 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI